

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./56002/2014

जयपुर, दिनांक : 12 JUN 2017

जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराए जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिलों द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों का नियोजन दूसरी ग्राम पंचायत में किया जा सकता है अथवा नहीं ?

इस संबन्ध में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 18 एवं 20 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

पैरा 18 - "जहाँ तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहाँ वह आवेदन करते समय निवास करता है, 5 कि.मी. के व्यास के भीतर रोजगार प्रदान किया जायेगा।

पैरा 20 - "यदि रोजगार पैरा 18 में वर्णित प्रावधान से बाहर किया जाता है तो यह ब्लाक में ही प्रदान किया जाना चाहिये और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संबन्धित ग्राम पंचायत में रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जा सकने की स्थिति में संबन्धित पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

संशोधित प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि तदनुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(शाहीन अली खान)

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता (ए), मुख्यालय।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
7. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

